वेल्लिकन्नु

बनाम

आर. सिंगपेरुमल और अन्य

मई 06, 2005

[अशोक भान और ए.के. माथुर, जेजे.]

हिंदु उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956-धारा 25 व 27 सपठित धारा 6 व 8- सहदायिक संपत्ति-उत्तराधिकार-अयोग्यता-प्रत्यर्थी सं. 1 ने अपने पिता की हत्या कर दी, जो निर्वसीयत के मर गया-मृतक पहले से ही तलाकशुदा था- प्रत्यर्थी सं 1 जीवित रहा-उनका इकलौता बेटा और एकमात्र जीवित पुरुष और अपीलकर्ता-बहू-मृतक थी कानून-मृतक की संपत्तियां संयुक्त परिवर की संपत्ति थीं और पक्षकार मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू ला द्वारा शासित थे- उत्तराधिकार का प्रश्न & प्रत्यर्थी सं 01 ने उसके पिता की हत्या कर दी, यह माना जाएगा कि उसकी पहले ही मृत्यु हो चुकी है और सहदायिक के रूप में उसके द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों को विरासत में प्राप्त करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा- चूंकि अपीलार्थी का अधिकार प्रथम प्रतिवादी की पत्नी के रूप में प्रवाहित होता है, इसलिए वह

भी उक्त संपत्ति की उत्तराधिकारी प्रतिवादी सं 01 की विधवा के रूप में नहीं हो सकती।

प्रतिवादी सं. 01 ने अपने पिता की हत्या कर दी और उसे धारा 302 आई पी एस के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम प्रतिवादी की दोषसिद्धि की पुष्टि की गई, परंतु उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को उसके द्वारा बिताई गई सजा की हद तक सजा कम करने की अभिशंसा की गई। प्रतिवादी सं 01 को बाद में जेल से रिहा कर दिया गया।

मृतक पहले से ही तलाकशुदा था। निर्वसीयत उनकी मृत्यु हो गई, प्रतिवादी सं 01 उनका इकलौता बेटा और अपीलकर्ता, बहु जीवित रहे। मतृक की संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति थी और पक्षकार मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू ला द्वारा शासित थे।

वर्तमान अपील में विचार के लिए जो प्रश्न उठे हैं, वे यह हैं कि क्या प्रतिवादी सं 01 ने अपने पिता की हत्या कर दी है, यह माना जाएगा कि उसकी पूर्व में मृत्यु हो चुकी है और उसके द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों को सहदायिक के रूप में प्राप्त करने से अयोग्य ठहराया जाएगा और चूंकि उनके पिता का अधिकार है अपीलांट प्रतिवादी सं 01 की पत्नी है, वह भी प्रतिवादी सं 01 की विधवा के रूप में दावा करते है उक्त संपत्तियों की उत्तराधिकारी नहीं हो सकती है।

याचिका खारिज करते है न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम धारा 6 के अनुसार यदि किसी पुरुष हिंदु की मृत्यु हो जाती है तो इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद, मिताक्षरा सहआंशिक संपत्ति में हित जीवित सदस्यों की उत्तराजीविता द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा और अधिनियम के अनुसार नहीं। जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, इस तथ्य का समवर्ती निष्कर्ष यह है कि मृतक रामासामी कोनार मिताक्षरा कानून द्वारा शासित था और संपत्ति सहपक्षीय संपत्ति थी। परंतु उसकी निर्वसीयत मृत्यु हो गई। इसलिए, धारा 6 के अनुसार संपत्ति सहसदस्य के जीवित सदस्यों को उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरित की जाएगी ना की अधिनियम की धारा 6 द्वारा और साथ ही धारा 6 का परंतुक है जो मुख्य धारा को योग्य बनाता है कि यदि मृतक एक जीवित महिला को छोड़ गया है जो अनुसूची के प्रथम वर्ग में विनिर्दिष्ट रिश्तेदार या उस वर्ग में विनिर्दिष्ट पुरुष रिश्तेदार जो ऐसी महिला के माध्यम से दावा करता है, मिताक्षरा सहआंशिक संपत्ति में मृतक का हित विसीयती या निर्वसियत उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरित होगा जैसा भी मामला हो, और उत्तरजीविता द्वारा नहीं।

2. जहां तक मिताक्षरा कानून में सहभागीदारों के अधिकारों का संबंध है, बेटा जन्म से या गोद लेने के बाद जैसा भी मामला हो, एक संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में निहित हित प्राप्त करता है चाहे वह पृत्रैक हो

या नहीं और चाह वह पहले अर्जित की गई हो या उसके जन्म या गोद लेने के बाद जैसा भी मामला हो। यह वह दृष्टिकोण है जिसे हिंदु कानून के सभी लेखकों द्वारा स्वीकार किया गया है।

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बनाम घमंडीराम एआईआर (1969) एससी 1333, *स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम नारायण राव शाम राव देशमुख और अन्य.,* [1985] 2 एससीसी 321

प्रसिद्ध मुल्ला के सिद्धांत, पंद्रावा संस्करण (1982) पृष्ठ 284-285; *एसवी गुप्ता, हिंदु ला के लेखक, खण्ड 1 तीसरा संस्करण* (1981) पृष्ठ 162 *और एन.आर राघावचारियार के हिंदु कानून के सिद्धांतों और पूर्ववर्तियों में* आठवे संस्करण (1987) के पृष्ठ 230

3.1. प्रत्यर्थी सं. 01 और वादी जिसका विवाह प्रत्यर्थी सं. 01 से हुआ था, संयुक्त हिंदु परिवार के सदस्य थे। यदि प्रतिवादी अपीलार्थी अयोग्य नहीं पाया जाता तो उन्हें हिंदू कानून के मिताक्षरा स्कूल के अनुसार संपत्ति विरासत में मिलती। लेकिन सवाल यह है कि जब एकमात्र जीवित पुरुष को अयोग्य ठहराया गया है तब भी क्या वह हिंदु कानून के मिताक्षरा स्कूल के आधार पर संपत्ति का दावा कर सकता है? यदि वह उत्तराधिकारिता के आधार पर संपत्ति प्राप्त नहीं कर सकता है तो सवाल यह है कि क्या उसकी पत्नी जो पति के माध्यम से उत्तराधिकारी होती है, वह संपत्ति में उत्तराधिकारी हो सकती है?

3.2 वास्तव में, हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम के संशोधन से पहले धारा 25 और 27 जैसी धाराएं नहीं थी लेकिन अपने ही पिता के हत्यारे को न्याय, समानता व अच्छे विवेक के सिद्धांत और सावर्जनिक नीति के उपाय के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

कैचावा कॉम सानयेलप्पा होस्मानी और अन्य बनाम गिरिमल्लप्पा चनप्पा सोमासागर एआईआर (1924) ईसी 209; *गंगू बनाम चंद्रभागाबाई,* (1908) 32 बोम. 275; *के.स्टानुमूर्तिय्या एवं अन्य बनाम के. रामप्पा एवं अन्य.* एआईआर 29 (1942) मद्रास 277; *नकछेद सिंह एवं अन्य बनाम बिजय बहादुर सिंह और अन्य.* एआईआर (1953) सभी। 759; *माता बादल सिंह एवं अन्य बनाम बिजय बहादुर सिंह एवं अन्य.* एआईआर (1956) सभी। 707; *मिनोती बनाम सुशील मोहनसिंह मलिक एवं अन्य.* एआईआर (1982) बोम. 68

3.3 जैसा कि उपर उद्रित किया गया है, कानून की इस स्थिति को धारा 25 के माध्यम से हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में शामिल किया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो व्यक्ति हत्या करता है या हत्या करने को उकसाता है, उसे हत्या किये गये व्यक्ति की संपत्ति, या किसी अन्य संपत्ति को विरासत में पाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा जिसके अग्रसरण में उसके द्वारा वह हत्या की गई या हत्या करने के लिए उकसाया गया।

3.4 एक व्यक्ति जिसने अपने पिता की हत्या की है या एक व्यक्ति जिससे वह उत्तराधिकार प्राप्त करना चाहता है पूरी तरह से अयोग्य हो जाता है। हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 27 यह स्पष्ट करती है कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत किसी भी संपत्ति को विरासत में पाने के लिए अयोग्य ठहराए जाने पर ऐसा माना जाएगा जैसाकि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु निर्वसियत व्यक्ति से पहले ही हो गई हो। इस पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने किसी ऐसे व्यक्ति की हत्या की है जिसके माध्यम से वह संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाना चाहता है वह उस कारण से अयोग्य है। इसका मतलब है कि यह माना जाएगा कि वह उससे पहले मर गया। हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 25 सपठित धारा 27 का प्रभाव यह है कि हत्यारा मृतक की संपत्ति के उत्तराधिकार से पूरी तरह अयोग्य है।

4. वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते है धारा 25 व 27 का प्रभाव यह है कि प्रत्यर्थी सं01 अपने पिता की किसी भी संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है क्योंकि उसने न्याय, समानता और अच्छे विवेक के सिद्धांत पर उसकी हत्या की है और उसकी वंशावली का नया भण्डार अस्तित्व में नहीं रहा है। एक बार जब बेटे को पूरी तरह से बेदखल कर दिया जाता है तो उसका पूरा स्टोक यानी पत्नी या बेटे को भी बेदखल कर दिया जाता है। प्रतिवादी-प्रत्यर्थी सं 01 बेटा स्वयं हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 25 और धारा 27 के आधार पर पूरी तरह अयोग्य है

और इस तरह पत्नी का मृतक की संपत्ति पर इससे बेहतर कोई दावा नहीं हो सकता है।

उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश के सिविल अपील संख्या 4838/1999 में पारित अंतिम निर्णय व आदेश दिनांकित 06.03.1983 से।

बालचंद्रन वी. अपीलांट की ओर से।

प्रभाकर, आर. एस. कृष्ण कुमार, राकेश गर्ग, श्रीमति रेवती, राघवन और अशोक के. साधु खान प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय **ए.के. माथुर, न्यायाधिपति** द्वारा दिया गया।

यह अपील विद्वान एकल न्यायाधीश मद्रास के निर्णय के विरुद्ध दायर की गई है जिसमें विद्वान एकल पीठ द्वारा जरिए आदेश दिनांक 06 मार्च 1997 प्रत्यर्थी सं. 01 प्रतिवादी द्वारा पेश द्वितीय अपील सं. 773/1983 को स्वीकार किया गया है।

इस अपील के निस्तारण हेतु आवश्यक तथ्य संक्षेप में निम्न है;

न्यायालय जिला मुंसिफ, मेलूर में वादी-अपीलांट द्वारा असल वाद सं. 87/1978 पेश किया गया था।

सूचीबद्ध संपत्तियां स्वर्गीय रामासामी कोनार की स्व अर्जित सम्पत्तियां है व प्रथम प्रतिवादी रामासामी कोनार का इकलौत बेटा था व वादी प्रथम प्रतिवादी की पत्नी है। रामासामी कोनार की पत्नी पूर्व में तलाकशुदा थी व

किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर अलग निवास कर रही थी। यह अभिकथित किया गया है कि वाद में प्रथम प्रतिवादी द्वारा वादी-अपीलांट के साथ विवाह कर दोनों पति पत्नी की तरह निवास कर रहे थे। 10 अक्टूबर 1972 को प्रथम प्रतिवादी ने अपने पिता रामासामी कोनार की हत्या कर दी व उसको धारा 302 भादंसं में दोषसिद्ध घोषित कर आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम प्रतिवादी की दोषसिद्धि की पुष्टि की गई, परंतु उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को उसके द्वारा बिताई गई सजा की हद तक सजा कम करने की अभिशंसा की गई। जुलाई 1975 में प्रथम प्रतिवादी को रिहा कर दिया गया। क्योंकि प्रथम प्रतिवादी द्वारा अपने पिता की हत्या की गई थी, वह अपने मृतक पिता की जायदाद के उत्तराधिकारता के लिए हकदार नहीं था व इस प्रकार वादी का यह दावा था कि वह अकेली ही मृतक रामासामी कोनार द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों को प्राप्त करने की हकदार थी। वादी के अनुसार यह माना जाना चाहिए कि धारा 25 सपठित धारा 27 हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के अंतर्गत यह माना जाएगा कि प्रथम प्रतिवादी की मृत्यु रामासामी कोनार से पूर्व हो गई थी। उसके द्वारा प्रथम प्रतिवादी की विधवा होने का दावा किया गया व रामासामी कोनार द्वारा छोड़ी गई समस्त संपत्तियों का सामान उत्तराधिकारी के आधार पर स्वामी होने का दावा किया गया। प्रथम प्रतिवादी के जेल से रिहाई के पश्चात् कुछ समय तक प्रथम प्रतिवादी वादी के साथ रहा परंतु कुछ समय बाद वादी को घर से निकाल दिया गया। द्वितीय प्रतिवादी को

पहले से ही पहले प्रतिवादी के तहत दावा करने वाले किरायेदार के रूप में मुकदमे में शामिल किया गया है।

इस प्रकार वादी द्वारा यह निवेदन किया गया कि उसके हक में घोषणात्मक अनुतोष इस आशय का पारित किया जाए कि अभिकथित किया गया कि रामासामी की समस्त संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति थी जिसको प्रथम प्रतिवादी द्वारा उत्तरजीविता के आधार पर प्राप्त किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा जरिए आदेश दिनांक 31 मार्च 1980 में यह आदेश दिया गया कि समस्त संपत्ति मृतक रामासामी कोनार व प्रथम प्रतिवादी की संयुक्त परिवार की संपत्ति है। द्वितीय प्रतिवादी बनसजपअंजपदह किरायेदार है। प्रथम प्रतिवादी धारा 6 सपठित धारा 25 व 27 के तहत अपने पिता की मृत्यु करने से कोई भी हक का दावा करने का अधिकारी नहीं है परंतु धारा 6 हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम के परंतुक के अनुसार आधे हिस्से के संबंध में डिक्री प्राप्त करने का हकदार है और परिणामस्वरूप उक्त भाग वादी को प्रदान किया गया था। प्रथम प्रतिवादी द्वारा उक्त के विरुद्ध अपील दायर की गई थी। निचली अपील कोर्ट द्वारा विचारण न्यायालय कि पिदकपदह की पुष्टि की गई, परंतु डिक्री को प्राथमिक डिक्री में परिवर्तित किया गया। यह भी आदेश दिया गया कि प्रथम प्रतिवादी को अस्तित्वहीन माना जाए। वादी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की सूची संख्या 01 में प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी होने से संपत्ति में हिस्से की हकदार मानी गई। अपील खारिज की गई।

उक्त आदेश से पीड़ित होते है प्रथम प्रतिवादी द्वारा यह द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील को स्वीकार करते समय निम्न विधि के सारवान प्रश्न विरचित किये गये।

> "1. आया फौजदारी प्रकरण का निर्णय प्रदर्श Ex.A.2 उत्तराधिकार से बहिष्करण के प्रश्न पर वर्तमान कार्यवाही में निर्णयात्मक है?
>
> 2. क्या विरासत के अपर्वजन में धारा 6 हिंदू उत्तराधिकारिता के आलोक में उत्तरजीविता के हित का विस्तार शामिल होगा?"

जहां तक प्रश्न सं 01 का संबंध है, उच्च न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि फौजदारी न्यायालय के निर्णय को महत्व दिया जा सकता है। परंतु जो मुख्य प्रश्न उच्च न्यायालय द्वारा संबोधित किया गया वह यह था कि क्या वादी अपने मृत ससुर, रामासामी कोनार, की जायदाद को विरासत में प्राप्त करने की अधिकारी है और धारा 25, धारा 27 सपठित धारा 6 व धारा 8 हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम का क्या प्रभाव है।

यह विवादित नहीं है कि रामासामी कोनार की संपत्ति सयुंक्त परिवार की संपत्ति थी जिसका प्रथम प्रतिवादी सदस्य था व पक्षकार हिंदू कानून के मिताक्षरा स्कूल से शासित हैं।

उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पक्षकारों को सुनने पश्चात् और इस विषय पर प्रासंगिक कानून पर विस्तार से विचार करते है इस निष्कर्ष पर पहुंचे की दोनों निचली अदालतों द्वारा लिये गये विचार को कायम नहीं रखा जा सकता है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वादी रामासामी कोनार की पुत्र की विधवा की रूप में दावा नहीं कर सकती है। यह देखा गया कि वादी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के परंतुक के तहत सहआंशिक संपत्ति होने के नाते संपत्ति में आधे हिस्से का दावा नहीं कर सकती है। यह भी देखा गया कि वह आधे हिस्से की हकदार है जब तक की मृतक पिता और पुत्र ने संपत्ति का विभाजन नहीं किया गया। इसमें प्रथम प्रतिवादी को पीड़ित (रामासामी कोनार) से कोई भी हिस्सा विरासत में मिला हुआ नहीं कहा जा सकता है और वादी विधवा के रूप में तभी दावा कर सकती है जब पीड़ित की संपत्ति का उत्तराधिकार हो। यदि कोई उत्तराधिकार नहीं है तो यह उपबंध भी लागू नहीं होगा कि प्रथम प्रतिवादी की मृत्यु पीड़ित (उसके पिता) से पहले हुई थी और वह अपने पूर्व मृत बेटे की विधवा के रूप में दावा नहीं कर सकती है। यह भी माना गया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 भी लागू नहीं होगी। न्याय का सिद्धांत, न्यायसम्यता लागू होंगे और वादी को वंश के एक नए समूह के रूप में नहीं माना जा सकता है और प्रतिवादी सं 01 को गैर अस्तित्व के रूप में माना जाएगा जैसेकि वह कभी अस्तित्व में नहीं था। इसलिए वादी भी

अपना विधवा होने का दावा भी नहीं कर सकती है। यह भी देखा गया कि चूंकि प्रतिवादी सं 01 की विधवा के रूप में दावा करती है इसलिए वही अयोग्यता उसके लिए समान रूप से लागू होती है क्योंकि वह हत्यारे पति के माध्यम से दावा नहीं कर सकती है।

विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी सं 01/प्रत्यर्थी सं. 01 की अपील को अनुमति देते है निचले न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय व डिक्री को दरकिनार कर दिया गया दावा खारिज कर दिया गया। इसलिए यह वर्तमान अपील।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने हमें यह समझाने की कोशिश की कि अपीलार्थी संयुक्त हिंदू संपत्ति की एकमात्र महिला उत्तरजीवी होने के नाते क्योंकि उसका पति अयोग्य है वह अधिनियम की धारा 6 के परंतुक के तहत सहआंशिक संपत्ति के एकमात्र जीवित सदस्य सपठित अधिनियम की धारा 8 में प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी के के रूप में पूरी संपत्ति की हकदार है। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने यह प्रस्तुत किया कि यह अयोग्यता जो पुत्र के साथ संलग्न की गई है वह पत्नी के मामले में भी समान रूप से लागू होती है क्योंकि वह प्रत्यर्थी के साथ अपनी शादी के कारण संपत्ति का दावा कर रही है और यदि वह अयोग्य है, पत्नी भी अपने मृत ससुर की संपत्ति से सहभागीदार होने के नाते किसी भी संपत्ति का दावा करने के लिए समान रूप से अयोग्य है।

प्रतिद्वंद्वी विवाद की सरहाना के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8, 25 और 27 को पुनः प्रस्तुत करना प्रासंगिक होगा जो निम्नानुसार हैः-

> "*धारा 6 सह-पक्षीय संपत्ति में ब्याज का हस्तांतरण*- जब इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद एक पुरुष हिंदू की मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु के समय मिताक्षरा सहदायिक संपत्ति में रुचि होती है, तो संपत्ति में उसका हित उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरित हो जाएगा सहदायिक के जीवित सदस्यों पर इस अधिनियम के अनुसार नहीं।
>
> बशर्ते कि, यदि मृतक ने अपने जीवित रहने के लिए अनुसूची के वर्ग एक में निर्दिष्ट एक महिला रिश्तेदार या उस वर्ग में निर्दिष्ट एक पुरुष रिश्तेदार को छोड़ दिया है, जो ऐसी महिला रिश्तेदार के माध्यम से दावा करता है, तो मिताक्षरा सहआंशिक संपत्ति में मृतक का हित वसीयतनामा द्वारा हस्तांतरित होगा। या निर्वसीयत उत्तराधिकार, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम के तहत है न कि उत्तरजीविता द्वारा।
>
> *स्पष्टीकरण* 1. इस धारा के प्रयोजनों के लिए, एक हिंदू का हित मिताक्षरा सहआंशिक को संपत्ति में वह हिस्सा माना

जाए जो उसे आवंटित किया गया होता अगर संपत्ति का बंटवारा उसकी मृत्यु से ठीक पहले हुआ होता, भले ही वह बंटवारे का दावा करने का हकदार हो या नहीं।

स्पष्टीकरण 2. इस धारा के परंतुक में शामिल किसी भी बात को उस व्यक्ति को सक्षम करने के रूप में नहीं समझा जाएगा जिसने मृतक या उसके किसी उत्तराधिकारी की मृत्यु से पहले खुद को सहदायिकता से अलग कर लिया है ताकि वह निर्वसीयत के आधार पर उसमें निर्दिष्ट हित में हिस्सेदारी का दावा कर सके।''

धारा 8.- पुरुषों के मामले में उत्तराधिकार के सामान्य नियम- बिना वसीयत के मरने वाले हिंदू पुरुष की संपत्ति इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार हस्तांतरित होगीः-

(ए) सबसे पहले, उत्तराधिकारियों पर, जो अनुसूची के वर्ग एक में निर्दिष्ट रिश्तेदार है;

(बी) दूसरे, यदि वर्ग एक का कोई वारिस नहीं है, तो उत्तराधिकारियों पर, अनुसूची के वर्ग दो में निर्दिष्ट रिश्तेदार होंगे;

(सी) तीसरा, यदि दोनों वर्गों में से किसी का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो मृतक के सगे भाईयों पर; और

(डी) अंत में, यदि कोई सगा नहीं है, तो मृतक के सजातीय पर।

धारा 25.- हत्यारा अयोग्य ठहराया गया- एक व्यक्ति जो हत्या करता है या हत्या करने के लिए उकसाता है, उसे मारे गए व्यक्ति की संपत्ति, या उत्तराधिकार को आगे बढ़ाने में कोई अन्य संपत्ति प्राप्त करने से अयोग्य ठहराया जाएगा जिसके लिए उसने हत्या की है या हत्या के लिए उकसाया है।

धारा 27.- उत्तराधिकारी के अयोग्य घोषित होने पर उत्तराधिकार- यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत किसी भी संपत्ति को प्राप्त करने से अयोग्य हो जाता है, तो यह ऐसे हस्तांतरित हो जाएगा जैसे कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु निर्वसीयत करने से पहले हो गई हो।

हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम धारा 6 के अनुसार यदि किसी पुरुष हिंदु की मृत्यु हो जाती है तो इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद, मिताक्षरा सहआंशिक संपत्ति में हित जीवित सदस्यों की उत्तराजीविता द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा और अधिनियम के अनुसार नहीं। जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, इस तथ्य का समवर्ती निष्कर्ष यह है कि मृतक रामासामी कोनार मिताक्षरा कानून द्वारा शासित था और संपत्ति सहपक्षीय संपत्ति थी। परंतु उसकी निर्वसीयत मृत्यु हो गई। इसलिए, धारा 6 के अनुसार संपत्ति सहसदस्य के जीवित सदस्यों को उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरित की जाएगी ना की अधिनियम की धारा 6 द्वारा और साथ ही धारा 6 का परंतुक है जो मुख्य धारा को योग्य बनाता है कि यदि मृतक एक जीवित महिला को

छोड़ गया है जो अनुसूची के प्रथम वर्ग में विनिर्दिष्ट रिश्तेदार या उस वर्ग में विनिर्दिष्ट पुरुष रिश्तेदार जो ऐसी महिला के माध्यम से दावा करता है, मिताक्षरा सहआंशिक संपत्ति में मृतक का हित विसीयती या निर्वसियत उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरित होगा जैसा भी मामला हो, और उत्तरजीविता द्वारा नहीं।

जहां तक विचारादीन संपत्ति का संबंध है वहां निचली अदालतों द्वारा यह निष्कर्ष लिया गया कि संपत्ति एक सहआंशिक संपत्ति है और यदि ऐसा है तो यदि प्रतिवादी सं. 01 द्वारा अपने पिता की हत्या नहीं की होती तो शायद एक अलग रूप ले लिया होता। लेकिन मृतक पिता के संपत्ति के उत्तराधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है जब बेटे ने उसकी हत्या कर दी हो। यदि उसने अपने पिता की हत्या नहीं की होती तो वह अपनी पत्नी के साथ मामले में सफल होता। जहां तक मिताक्षरा कानून में सहभागीदारों के अधिकारों का संबंध है, बेटा जन्म से या गोद लेने के बाद जैसा भी मामला हो, एक संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में निहित हित प्राप्त करता है चाहे वह पृत्रैक हो या नहीं और चाह वह पहले अर्जित की गई हो या उसके जन्म या गोद लेने के बाद जैसा भी मामला हो। यह वह दृष्टिकोण है जिसे हिंदु कानून के सभी लेखकों द्वारा स्वीकार किया गया है। प्रसिद्ध मुल्ला के सिद्धांत, पंद्रावा संस्करण (1982) पृष्ठ 284-285 में विद्वान लेखक ने इस प्रकार कहा है कि:-

‘‘मिताक्षरा कानून के तहत सहदायिकी का सार स्वामित्व की एकता है। सहदायिक संपत्ति का स्वामित्व संपूर्ण सहदायिकों के पास होता है। मिताक्षरा कानून द्वारा शासित एक अविभाजित परिवार की सच्ची धारणा के अनुसारए उस परिवार का कोई भी व्यक्तिगत सदस्य जबकि वह अविभाजित रहता है संयुक्त और अविभाजित संपत्ति का अनुमान नहीं लगा सकता है कि उस विशेष सदस्य के पास एक निश्चित हिस्सा है, एक तिहाई या एक चौथाई उसकी रुचि एक उतार चढ़ाव वाली रुचि है परिवार में मृत्यु के कारण सक्षम या बढ़ जाता है और परिवार में जन्म के कारण कम हो जाता है। बँटवारे पर ही वह एक निश्चित हिस्से का हकदार बनता है। सहदायिक संपत्ति में सहदायिक के हित का वर्णन करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द ष्अविभाजित सहदायिक हित है। उस हित की प्रकृति और सीमा को धारा 235 में परिभाषित किया गया है। विभाजन होने तक प्रत्येक सहदायिक के अधिकारों में समान अधिकार और सहदायिक का सामान्य आनंद शामिल है। संपत्ति जैसा कि *कटामा नाचियार बनाम शिवगुंगा के राजा* की प्रिवी काउंसिल द्वारा देखा गया परिवार के सभी सदस्यों के बीच हितों का समुदाय और कब्जे की एकता है और उनमें से

किसी एक की मृत्यु पर अन्य लोग जीवित बचे रह सकते हैं। जिसमें मृतक के जीवनकाल के दौरान उनका साझा हित और साझा कब्ज़ा था।"

इसी तरह एस.वी. गुप्ता, हिंदु ला के लेखक, खण्ड 1 तीसरा संस्करण (1981) पृष्ठ 162 में विद्वान लेखक सहभागीदार के अधिकारों के संबंध में इस प्रकार कहता हैः-

"विभाजन तक, सहदायिक निम्नलिखित का हकदार है;

(1) संयुक्त परिवार की संपत्ति का संयुक्त कब्ज़ा और उपभोग

(2) जीवित रहने पर संयुक्त परिवार की संपत्ति लेने का अधिकार, और (3) संयुक्त परिवार की संपत्ति के विभाजन की मांग करने का अधिकार"

पृष्ठ 164 में विद्वान लेखक उत्तरजीविता के अधिकार के संबंध में यह कहता है;

"जबकि परिवार संयुक्त रहता है, उसकी संपत्ति कुछ समय के लिए उत्तरजीविता के आधार पर सहदायिक को हस्तांतरित होती रहती है, न कि उत्तराधिकार के आधार पर। नतीजतन, एक सहदायिक की मृत्यु पर जीवित सहदायिक जीवित रहने के आधार पर संयुक्त परिवार की संपत्ति में अपना अविभाजित हित ले लेता है। परिवार के सभी सदस्यों के

बीच हितों का समुदाय और स्वामित्व की एकता है और उनमें से किसी की मृत्यु परए अन्य लोग उत्तरजीविता के आधार पर वह सब कुछ ले सकते हैं जिसमें मृतक के जीवनकाल के दौरान उनका साझा हित और साझा कब्ज़ा था।"

विद्वान लेख आगे कहते हैः

"एक सहदायिक जो विकलांगता (जैसे पागलपन) के कारण विभाजन पर हिस्सा लेने से अयोग्य है, फिर भी जीवित रहने पर पूरी संपत्ति ले सकता है।"

पृष्ठ 165 पर विद्वान लेखक ने आगे इस प्रकार कहा है%&

"उत्तरजीविता द्वारा एक सहदायिक को अपने प्रतिनिधि के रूप में मृत सहदायिक का हिस्सा प्राप्त नहीं होता है सख्ती से कहें तो इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता यदि वह केवल उस चीज़ में अपना हिस्सा बढ़ा देता है जो उसके पास पहले से ही है। इसलिए, जीवित सहदायिक मृत सहदायिक के कानूनी प्रतिनिधि नहीं हैं।''

एन.आर राघावचारियार के हिंदु कानून के सिद्धांतों और पूर्ववर्तियों में आठवे संस्करण (1987) के पृष्ठ 230 पर 'सहकारियों के अधिकार' शीर्षक के तहत यह इस प्रकार कहा है:-

"एक सहदायिक के अधिकार निम्नलिखित हैं:- (1) जन्म का अधिकार (2) जीवित रहने का अधिकार, (3) विभाजन का अधिकार, (4) संयुक्त कब्जे और आनंद का अधिकार, (5) अनधिकृत कार्यों पर रोक लगाने का अधिकार (6) अलगाव का अधिकार, (7) खातों का अधिकार और (8) स्वअर्जन करने का अधिकार''।

''जन्म से अधिकार'' के बारे में बात करते है लेखक इस प्रकार से कहते हैं:-

''प्रत्येक सहदायिक को सहदायिक संपत्ति में जन्म के आधार पर ब्याज मिलता है। जन्म का यह अधिकार गर्भाधान की तारीख से संबंधित है। हालांकिए इसे इस स्थिति को नकारात्मक नहीं माना जाना चाहिए कि सहदायिक संपत्ति जन्म के बाद स्वयं अस्तित्व में आ सकती है। संबंधित सहदायिक ''

उत्तरजीविता के अधिकार के बारे में बात करते है इस प्रकार कहा जाता है:-

''उत्तरजीविता द्वारा उत्तराधिकार की घटना के साथ संयुक्त परिवार की प्रणाली हिंदू कानून की एक विशेषता है। ऐसे परिवार में किसी भी सदस्य का कोई निश्चित हिस्सा नहीं

होता है और उसकी मृत्यु के बाद किसी तरह परिवार का सदस्य नहीं रहने से परिवार में कोई बदलाव नहीं होता है। परिवार की संयुक्त स्थिति। जहां एक सहदायिक की मृत्यु बिना किसी पुरुष के हो जाती है संयुक्त परिवार की संपत्ति में उसका हित जीवित रहने के कारण अन्य सहदायिकों के पास चला जाता है और उसके अपने उत्तराधिकारी का उत्तराधिकार नहीं होता है। यहां तक कि जहां एक सहदायिक अपने जन्म के बाद पागलपन से पीड़ित हो जाता है वह एक सहदायिक के रूप में अपना दर्जा नहीं खोता है जो उसने अपने जन्म से हासिल किया है और यद्यपि हिंदू कानून के तहत उसका पागलपन उसे अपने हिस्से के बंटवारे में हिस्सेदारी की मांग करने से अयोग्य ठहरा सकता है। परिवार फिर भी जहां अन्य सभी सहदायिकों की मृत्यु हो जाती है और वह

सहदायिक का एकमात्र जीवित सदस्य बन जाता है वह जीवित रहकर पूरी संयुक्त परिवार की संपत्ति ले लेता है और अंतिम पूर्व मृत सहदायिक की बेटी को छोड़कर वंश का एक नया भंडार बन जाता है, अंतिम जीवित सहदायिक के कुष्ठ रोग का मामला। प्रत्येक सहदायिक का लाभकारी हित उतार चढ़ाव के लिए उत्तरदायी है दूसरे सहदायिक की मृत्यु से बढ़ जाता है और नए सहदायिक के जन्म से घट जाता है।"

इसलिए अब यह तय हो गया है कि सहभागीदारों का एक सदस्य जन्म से ही संपत्ति में अधिकार प्राप्त करता है। समय-समय पर उसके हिस्से में उतार चढ़ाव हो सकता है लेकिन मिताक्षरा कानून में सहआंशिक संपत्ति में उत्तरजीविता के माध्यम से अधिकार तय प्रस्ताव है।

इस संबंध में *स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बनाम घमंडीराम* एआईआर (1969) एससी 1333, में रिपोर्ट किया गया हैः-

> ‘‘मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ के अनुसार एक हिंदू संयुक्त परिवार की सभी संपत्ति अर्ध कॉर्पोरेट सहदायिकता में सभी सहदायिकों के सामूहिक स्वामित्व में होती है। मिताक्षरा का शाब्दिक अधिकार स्पष्ट शब्दों में बताता है कि संयुक्त परिवारय संपत्ति को संयुक्त परिवार के जीवित रहने वाले और उसके बाद दोनों रहने वाले सदस्यों के ट्रस्ट में रखा जाता है; (मिताक्षरा, अध्याय I 1-27) मिताक्षरा कानून के तहत सहदायिकी की घटनाएं इस प्रकार हैं; सबसे पहले किसी व्यक्ति के तीसरी पीढ़ी तक के वंशज पुरुष, ऐसे व्यक्ति की पैतृक संपत्तियों में जन्म के समय स्वामित्व हासिल कर लेते हैं, दूसरी बात यह कि ऐसे वंशज किसी भी समय बँटवारा माँगकर अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, तीसरा, विभाजन तक प्रत्येक सदस्य को शेष के साथ संयुक्त

रूप से संपूर्ण संपत्ति पर स्वामित्व प्राप्त है आगे इस तरह के सह.स्वामित्व के परिणामस्वरूप संपत्तियों का कब्ज़ा और आनंद आम है पांचवीं बात यह है कि संपत्ति का कोई भी हस्तांतरण तब तक संभव नहीं है जब तक कि यह आवश्यकता से पहलेए सहदायिकों की सहमति के बिना न होए और छठी बात, कि मृत सदस्य का हित उसकी मृत्यु पर जीवित बचे लोगों को मिल जाता है। मिताक्षरा स्कूल के तहत एक सहदायिक कानून का प्राणी है और यह पार्टियों के कृत्य से उत्पन्न नहीं हो सकता है सिवाय इसके कि गोद लेने पर दत्तक पुत्र अपने दत्तक पिता के साथ पत्र की पैतृक संपत्तियों के संबंध में एक सहदायिक बन जाता है।''

हिंदु कानून के मिताक्षरा स्कूल में दी गई सहभागीदार की अवधारणा जैसाकि पहले ही उपर उल्लेख किया गया है। एक संयुक्त परिवार की संपत्ति है जिसमें सहभागीदारों के सभी सदस्य समान रूप से भाग लेते हैं। इस संबंध में एक संदर्भ *महाराष्ट्र राज्य बनाम नारायण राव शाम राव देशमुख और अन्य* (1985) 2 एससीसी 321 में न्यायाधिपति द्वारा निम्नानुसार कहा गया हैः-

"हालाँकि, हिंदू सहदायिक संयुक्त परिवार की तुलना में एक संकीर्ण निकाय है। केवल वे पुरुष जो संयुक्त या सहदायिक

संपत्ति में जन्म से हित प्राप्त करते है सहदायिक या सहदायिक के सदस्य हो सकते हैं। संयुक्त परिवार का एक पुरुष सदस्य और उसके बेटे, पोते और परपोते एक सहदायिक होते हैं। एक सहदायिक को जन्म से सहदायिक संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता है लेकिन उसका अधिकार निश्चित रूप से तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब विभाजन होता है। जब परिवार संयुक्त होता है तो सहदायिक के हिस्से की सीमा का निश्चित रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इसमें हमेशा उतार चढ़ाव हो सकता है।"

इसलिए, इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों को देखते है यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादी सं01 और वादी जिसका विवाह प्रतिवादी सं. 01 से हुआ था, संयुक्त हिंदु परिवार के सदस्य थे। यदि प्रतिवादी अपीलार्थी अयोग्य नहीं पाया जाता तो उन्हें हिंदू कानून के मिताक्षरा स्कूल के अनुसार संपत्ति विरासत में मिलती। लेकिन सवाल यह है कि जब एकमात्र जीवित पुरुष को अयोग्य ठहराया गया है तब भी क्या वह हिंदु कानून के मिताक्षरा स्कूल के आधार पर संपत्ति का दावा कर सकता है? यदि वह उत्तराधिकारिता के आधार पर संपत्ति प्राप्त नहीं कर सकता है तो सवाल यह है कि क्या उसकी पत्नी जो पति के माध्यम से उत्तराधिकारी होती है, वह संपत्ति में उत्तराधिकारी हो सकती है? इस सवाल का हमारा जवाब नकारात्मक है। वास्तव में, हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम के संशोधन से

पहले धारा 25 और 27 जैसी धाराएं नहीं थी लेकिन अपने ही पिता के हत्यारे को न्याय, समानता व अच्छे विवेक के सिद्धांत और सावर्जनिक नीति के उपाय के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। सन् 1924 में कानून की इस स्थिति को प्रीवी कांउसिल द्वारा *कैचावा कॉम सानयेलप्पा होस्मानी और अन्य बनाम गिरिमल्लप्पा चनप्पा सोमासागर* एआईआर (1924) ईसी 209 में न्यायाधिपति द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है:

> ''उनके आधिपत्य के विचार में नीचे के दो न्यायालयों द्वारा यह सही माना गया कि हत्यारे को अयोग्य ठहराया गया थाय और इस सवाल के संबंध में कि क्या वह पूरी तरह से या केवल लाभकारी हित के लिए अयोग्य है जिस पर अधीनस्थ न्यायाधीश ने चर्चा कीए लाभकारी और कानूनी संपत्ति के बीच अंतर को देखते है जो अधीनस्थ न्यायाधीश और मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा किया गया था। *वेदनायगा मुदलियार बनाम का मामला वेदाम्मलए* उनके आधिपत्य नेए जैसा कि यहां के उच्च न्यायालय ने किया, ऐसे किसी भी भेद को अस्वीकार करते हैं। कानूनी और न्यायसंगत सम्पदा का सिद्धांत हिंदू कानून का हिस्सा नहीं है और इसे चर्चा में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। निर्णय लेने योग्य दूसरा प्रश्न यह है कि क्या हत्यारे के माध्यम से स्वामित्व का दावा किया जा सकता है। यदि ऐसा होता तो हत्यारे की

बहनों के रूप में प्रतिवादियों को वादी, उसके चचेरे भाई की प्राथमिकता दी जाती। इस मामले में भीए उनके आधिपत्य की राय है कि नीचे के न्यायालय सही थे। हत्यारे के साथ गैर जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए विद्यमान है और ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं जो वंश की एक नई रेखा के लिए आधार तैयार करता है। यह बताया जा सकता है कि यह दृष्टिकोण अभी उद्धृत मद्रास मामले में भी लिया गया था।"

लार्ड स्पिस ने *गंगू बनाम चंद्रभागाबाई,* (1908) 32 बोम. 275 में भी मामले के निर्णय की व्याख्या की है जो निम्नानुसार हैः

"यह तर्क दिया गया था कि गंगू बनाम चंद्रनागबाई में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले से एक अलग फैसला निकाला जाना था। ऐसा नहीं है। उस मामले मेंए एक हत्यारे की पत्नी को संपत्ति का उत्तराधिकारी माना गया था आदमी की हत्या कर दी गईए लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि पत्नी ने अपने पति के माध्यम से स्वामित्व प्राप्त किया था बल्कि हिंदू पारिवारिक कानून के सिद्धांत के कारण था कि एक पत्नी अपने पति के गोत्र की सदस्य बन जाती है जो उसके पति के संबंधों का अपने आप में एक वास्तविक संबंध है, जैसा कि हिंदू कानून में इसे गोत्रज.सपिंड कहा

जाता है। इसलिए इस निर्णय का वर्तमान मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।''

इसलिए जो सिद्धांत उनके प्रभुत्वों द्वारा प्रतिपादित किया गया है वह किसी भी अनिश्चित शब्दों में उस बेटे को पूरी तरह से बेदखल नहीं करता है जिसने अपने पिता की हत्या की है लार्ॅड स्पिस द्वारा निम्नानुसार देखा गया है:

> ''विरासत के प्रयोजन के लिए एक हत्यारे के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए जैसे कि वह विरासत खुलने के समय मर गया हो और वंश का नया भंडार न हो बहिष्करण कानूनी और साथ ही लाभकारी संपत्ति तक फैला हुआ है ताकि न तो वह खुद को मार सके सफल नहीं हो सकते और न ही उसके माध्यम से उत्तराधिकार का दावा किया जा सकता है।"

इस प्रीवी काउंसल के निर्णय में मद्रास और बोम. उच्च न्यायालय के निर्णयों के संदर्भ में उन फैसलों में निहित अनुपात को मंजूरी दी है कि एक हत्यारे को उसके द्वारा किये गये अपराध के कारण पूरी तरह से बेदखल कर दिया जाना चाहिए। प्रीवी काउंसल के इस निर्णय के बाद में निम्नलिखित मामलों में पालना की गई:

i. एआईआर 29 (1942) मद्रास 277 (*के.स्टानुमूर्तिय्या एवं अन्य*

बनाम के. रामप्पा एवं अन्य.)

ii. एआईआर (1953) सभी। 759 (*नकछेद सिंह एवं अन्य बनाम बिजय बहादुर सिंह और अन्य.*)

iii. एआईआर (1956) सभी। 707 (*माता बादल सिंह एवं अन्य बनाम बिजय बहादुर सिंह एवं अन्य.*)

iv. एआईआर (1982) बोम. 68 (*मिनोती बनाम सुशील मोहनसिंह मलिक एवं अन्य.*)

जैसा कि उपर उद्रित किया गया है, कानून की इस स्थिति को धारा 25 के माध्यम से हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में शामिल किया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो व्यक्ति हत्या करता है या हत्या करने को उकसाता है, उसे हत्या किये गये व्यक्ति की संपत्ति, या किसी अन्य संपत्ति को विरासत में पाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा जिसके अग्रसरण में उसके द्वारा वह हत्या की गई या हत्या करने के लिए उकसाया गया। वास्तव में, उद्देश्य और का एक रण में भी प्रीवी काउंसल के फैसले (उपर) का संदर्भ है। धारा 25 को अधिनियमित करने का उद्देश्य और कारण निम्नानुसार है।

> "हत्यारा, भले ही हिंदू कानून के तहत उस व्यक्ति की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है, जिसकी उसने हत्या की है, न्यायए समानता और अच्छे

विवेक के सिद्धांतों पर अयोग्य है। मारे गए व्यक्ति को ताजा माल के रूप में नहीं माना जाना चाहिए वंश की रेखा लेकिन उत्तराधिकार खुलने पर इसे अस्तित्वहीन माना जाना चाहिए।"

इसलिए, एक बार यह माना जाएगा जाता है कि एक व्यक्ति जिसने अपने पिता की हत्या की है या एक व्यक्ति जिससे वह उत्तराधिकार प्राप्त करना चाहता है पूरी तरह से अयोग्य हो जाता है। हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 27 यह स्पष्ट करती है कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत किसी भी संपत्ति को विरासत में पाने के लिए अयोग्य ठहराए जाने पर ऐसा माना जाएगा जैसाकि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु निर्वसियत व्यक्ति से पहले ही हो गई हो। इस पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने किसी ऐसे व्यक्ति की हत्या की है जिसके माध्यम से वह संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाना चाहता है वह उस कारण से अयोग्य है। इसका मतलब है कि यह माना जाएगा कि वह उससे पहले मर गया। हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 25 सपठित धारा 27 का प्रभाव यह है कि हत्यारा मृतक की संपत्ति के उत्तराधिकार से पूरी तरह अयोग्य है। अधिनियम के निर्मिताओं ने उद्देश्यों व कारणों में प्रीवी काउंसल के फैसल का संदर्भ दिया है कि हत्यारे को वंश की एक नई पंक्ति का भण्डार नहीं माना जाना चाहिए बल्कि उसे अस्तित्वहीन माना जाना चाहिए। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जो हत्या का अपराध करने का दोषी है, का मृतक के साथ किसी

भी तरह का संबंध नहीं माना जा सकता है।

अब वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते है धारा 25 व 27 का प्रभाव यह है कि प्रत्यर्थी सं01 अपने पिता की किसी भी संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है क्योंकि उसने न्याय, समानता और अच्छे विवेक के सिद्धांत पर उसकी हत्या की है और उसकी वंशावली का नया भण्डार अस्तित्व में नहीं रहा है। एक बार जब बेटे को पूरी तरह से बेदखल कर दिया जाता है तो उसका पूरा स्टोक यानी पत्नी या बेटे को भी बेदखल कर दिया जाता है। प्रतिवादी-प्रत्यर्थी सं 01 बेटा स्वयं हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 25 और धारा 27 के आधार पर पूरी तरह अयोग्य है और इस तरह पत्नी का मृतक रामासामी कोनार की संपत्ति पर इससे बेहतर कोई दावा नहीं हो सकता है।

इसलिए हमारी उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप हमारी राय यह है कि मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही है कि वादी मृतक, रामासामी कोनार की संपत्ति के उत्तराधिकारी होने का हकदार नहीं है और विद्वान एकल न्यायाधीश में नीचे दिये गये दोनों न्यायालय के आदेशों को सही ढंग से खारिज किया है। क्योंकि हम प्रत्यर्थी सं 01 के अधिकार पर निर्णय लिये बिना इस अपील पर निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसलिए हमारे लिये यह आवश्यक था कि पहले यह तय करें कि प्रत्यर्थी सं 01 अपने मृत पिता की संपत्ति का

उत्तराधिकारी बन सकता है या नहीं। जब बेटा उत्तराधिकारी नहीं बन सकता है तो पति के माध्यम से संपत्ति पाने वाली पत्नी ही अपने ससुर की संपत्ति पर दावा नहीं कर सकती है। इस प्रकार यह अपील खारिज की जाती है खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सिमरन कौर (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।